



भर्ती विभाग / Recruitment Department

CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001 Certified Company

पोस्ट-सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889 / Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805-256573, email: [rectt.ncl@coalindia.in](mailto:rectt.ncl@coalindia.in) website : [www.nclcil.in](http://www.nclcil.in)

क्रमांक: एनसीएल/सिंग/कावि/सीधी-भर्ती/2023-24/ 538

दिनांक: 07/08/2023

रोजगार अधिसूचना (एचईएमएम ऑपरेटर – प्रशिक्षु)

एनसीएल ऐसे भारतीय नागरिकों से जो कि एचईएमएम ऑपरेटर प्रशिक्षु (शोवेल ऑपरेटर – प्रशिक्षु, डम्पर ऑपरेटर – प्रशिक्षु, सरफेस माइनर ऑपरेटर प्रशिक्षु, डोजर ऑपरेटर – प्रशिक्षु, ग्रेडर ऑपरेटर – प्रशिक्षु, पे-लोडर ऑपरेटर – प्रशिक्षु एवं क्रेन ऑपरेटर – प्रशिक्षु), पदों के लिए अधिसूचित न्यूनतम एवं आवश्यक योग्यता रखते हों, से सीधी भर्ती द्वारा अपनी मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले एवं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित, दस अत्यधिक यंत्रीकृत कोयला खदानों में नियुक्ति के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित करती है।

**1. पद/ न्यूनतम योग्यता/ रिक्तियां :-**

विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यताएं एवं विभिन्न श्रेणियों में रिक्तियां तालिका (क) में दी गई है।

**तालिका (क):** तालिका में वर्णित पद, न्यूनतम आवश्यक योग्यताएं एवं रिक्तियां।

क्र०	पद नाम	न्यूनतम आवश्यक योग्यताएं	कुल रिक्तियां
1	शोवेल ऑपरेटर (प्रशिक्षु)	I. किसी भारतीय राज्य के मान्यता प्राप्त अधिकृत माध्यमिक/ सेकेंडरी/ हायर सेकेंडरी बोर्ड से मैट्रिक / एसएससी / हाई स्कूल या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण  II. वैद्य एचएमवी/ ट्रांसपोर्ट लाइसेंस - जो किसी भारतीय राज्य के आरटीए / आरटीओ द्वारा जारी किया गया हो	35
2	डम्पर ऑपरेटर (प्रशिक्षु)		221
3	सरफेस माइनर ऑपरेटर (प्रशिक्षु)		25
4	डोजर ऑपरेटर (प्रशिक्षु)		37
5	ग्रेडर ऑपरेटर (प्रशिक्षु)		06
6	पे-लोडर ऑपरेटर (प्रशिक्षु)		02
7	क्रेन ऑपरेटर (प्रशिक्षु)		12
<b>कुल</b>			<b>338</b>

**नोट (क) -**

- I. एचएमवी/ ट्रांसपोर्ट : भारी मोटर वाहन (एचएमवी का नामकरण विभिन्न राज्यों में भिन्न हो सकता है जैसे ट्रांस / ट्रांसपोर्ट आदि) और यह किसी विशेष वाहन जैसे बस, क्रेन, पीएसवीबस आदि के लिए विशिष्ट नहीं है।
- II. अभ्यर्थी महत्वपूर्ण तिथि को वैद्य एचएमवी/ ट्रांसपोर्ट लाइसेंस धारक होना चाहिए। एचएमवी/ ट्रांसपोर्ट लाइसेंस की वैधता महत्वपूर्ण तारीख के संदर्भ में होगी जिसका अर्थ यह है कि एचएमवी/ ट्रांसपोर्ट लाइसेंस महत्वपूर्ण तारीख पर मान्य होना चाहिए। हालांकि, महत्वपूर्ण तिथि पर लर्निंग लाइसेंस आवेदन के लिए वैद्य एचएमवी/ ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के रूप में नहीं माना जाएगा।

- III. वह अभ्यर्थी, जिसका एचएमवी/ ट्रांसपोर्ट लाइसेंस (महत्वपूर्ण तिथि पर) का नवीनीकरण लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारियों के समक्ष लंबित है, वह भी आवेदन कर सकता है। परंतु, उन्हें मूल दस्तावेजों की जांच के समय (यदि उन्हें सूचीबद्ध किया गया है), महत्वपूर्ण तारीख पर मान्य, एचएमवी/ ट्रांसपोर्ट लाइसेंस को प्रस्तुत करना होगा।

**तालिका (ख):** तालिका में वर्णित पद में रिक्तियां का विभाजन।

क्र०	पद नाम	बैकलॉग रिक्तियां			कुल रिक्तियां (बैकलॉग सहित)						पूर्व सैनिक क्षैतिज आरक्षण
		अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन क्रीमी लेयर	अनुसू चित जाति	अनु सू चित जन जा ति	ऊर्ध्वाधर आरक्षण						
					अनार क्षित वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन क्रीमी लेयर	अनुसू चित जाति	अनुसूचि त जनजाति	कुल रिक्ति यां	
1	शोवेल ऑपरेटर (प्रशिक्षु)	0	0	0	15	3	5	5	7	35	7
2	डम्पर ऑपरेटर (प्रशिक्षु)	1	1	1	90	21	33	33	44	221	43
3	सरफेस माइनर ऑपरेटर (प्रशिक्षु)	0	0	0	12	2	3	3	5	25	5
4	डोज़र ऑपरेटर (प्रशिक्षु)	0	0	1	16	3	5	5	8	37	7
5	ग्रेडर ऑपरेटर (प्रशिक्षु)	0	0	0	5	0	0	0	1	6	1
6	पे-लोडर ऑपरेटर (प्रशिक्षु)	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0
7	क्रेन ऑपरेटर (प्रशिक्षु)	0	0	0	7	1	1	1	2	12	2
<b>कुल</b>		1	1	2	147	30	47	47	67	338	65

**नोट (ख) -**

- ऑनलाइन पंजीकरण और फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 31.08.2023 है और इसे इस रोजगार अधिसूचना में **महत्वपूर्ण तिथि (Crucial Date)** के रूप में संदर्भित किया गया है। इस अधिसूचना में तालिका 'क' में दर्शाए गए समस्त पदों के संबंध में अभ्यर्थियों की समस्त वांछित योग्यताएं और आरक्षण छूट लाभों का दावा करने के लिए दिनांक 31.08.2023 (महत्वपूर्ण तिथि-Crucial Date) को या उसके पूर्व पूर्ण होने पर ही अभ्यर्थी संबंधित पद हेतु पात्र होंगे।
- निर्धारित आवश्यक योग्यता न्यूनतम हैं, अतः उच्च और प्रासंगिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं।
- उपरोक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र बनने के लिए अभ्यर्थियों ने मैट्रिक में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किए होने चाहिए। उपरोक्त योग्यता मानदंड या मैट्रिकुलेशन में न्यूनतम अंक 55% करने के लिए अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार निम्नवार छूट दी गई है -

**तालिका (ख 1): विभिन्न श्रेणियों में मैट्रिक में अंको का न्यूनतम प्रतिशत ।**

क्र०	श्रेणी	आवेदन करने के पात्र बनने के लिए मैट्रिक में न्यूनतम अंको का प्रतिशत
1	अनारक्षित वर्ग/ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	55%
2	अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन क्रीमी लेयर	50%
3	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	45%

- दूरस्थ शिक्षा/ अंशकालिक या समकक्ष माध्यम से प्राप्त न्यूनतम योग्यताओं पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- रिक्तियों की कुल संख्या और आरक्षित रिक्तियां अंतिम है और वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। विभिन्न श्रेणियों के तहत आरक्षण, परिणामों को अंतिम रूप देने के समय, आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के तात्कालिक मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा।

- VI. उपर्युक्त पदों में से कोई भी भारत सरकार द्वारा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पदों की चिन्हित सूची में शामिल नहीं हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के संदर्भ में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा चिन्हित पदों की सूची के अनुसार, उपरोक्त पदों में से कोई भी पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पदों की चिन्हित सूची में नहीं आता है, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

## 2. पदों के लिए प्रशिक्षण की अवधि और वेतनमान तालिका "ग" में दिए गए हैं:

तालिका (ग)- विभिन्न पदों के लिए प्रशिक्षण की अवधि और वेतनमान को दर्शाती तालिका

क्र०	प्रवेश स्तर के पद	प्रवेश स्तर ग्रेड और वेतनमान (NCWA-XI के अनुसार)	प्रशिक्षण अवधि	सफल प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थियों का ग्रेड
1	शोवेल ऑपरेटर (प्रशिक्षु)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ग्रेड - श्रेणी - I</li> <li>वेतनमान - मूल वेतन रु 1502.66 प्रति दिन</li> </ul>	तीन वर्ष (श्रेणी I में)	3 वर्ष के सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उपरांत एवं उपयुक्त पाए जाने पर, उन्हें संबंधित ऑपरेटर (प्रशिक्षु) उल्लेखनन श्रेणी "डी" के वेतनमान/ पदनाम में पदस्थापित किया जाएगा।
2	डम्पर ऑपरेटर (प्रशिक्षु)			
3	सरफेस माइनर ऑपरेटर (प्रशिक्षु)			
4	डोजर ऑपरेटर (प्रशिक्षु)			
5	ग्रेडर ऑपरेटर (प्रशिक्षु)			
6	पे-लोडर ऑपरेटर (प्रशिक्षु)			
7	क्रेन ऑपरेटर (प्रशिक्षु)			

उपरोक्त मूल वेतन के अलावा NCWA-XI के प्रावधानों के अनुसार अन्य भत्ते जैसे डीए, उपस्थिति बोनस, विशेष भत्ता, एचआरए, परिवहन सब्सिडी आदि भी देय होगा।

## 3. आरक्षण

- अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी- नॉन क्रीमी लेयर) केन्द्रीय सूची / ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) / ईएसएम (पूर्व सैनिक) श्रेणियों हेतु आरक्षण भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त नियमों, दिशा-निर्देशों, अधिसूचनाओं और इन में समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुरूप लागू होगा।
- ईडब्ल्यूएस/ एससी/ एसटी/ ओबीसी (नॉनक्रीमीलेयर)/ ईएसएम के लिए उपलब्ध आरक्षण/ रियायत की मांग करने वाले सभी अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नियमों/ दिशा-निर्देशों में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/ छूट के हकदार हैं। उन्हें नियम/ दिशा-निर्देशों में निर्धारण अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण/ रियायत लाभों का दावा करने के लिए लागू/ उपयुक्त निर्धारित प्रारूप इस रोजगार अधिसूचना के अंत में संलग्न किए गए हैं, अभ्यर्थी दावे हेतु इन्हीं प्रारूपों में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- ऐसे अभ्यर्थी जो आरक्षित श्रेणियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं और आरक्षित श्रेणियों के लिए लागू अन्य रियायतें चाहते हैं, उन्हें इस तरह के आरक्षण का लाभ उठाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी अपेक्षित(संलग्नक अनुसार) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
- ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर - केन्द्रीय सूची) हेतु लागू आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहते हैं उनको यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास जाति प्रमाणपत्र (केवल केन्द्रीय सूची के लिए लागू) हो और वह महत्वपूर्ण तिथि पर क्रीमी लेयर वर्ग में नहीं आता हो।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) केन्द्रीय सूची हेतु लागू आरक्षण चाहने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से अभ्यर्थी की जाति, संबंधित अधिनियम/ आदेश जिसके तहत जाति विशेष अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) केंद्र सूची के अन्तर्गत आती है एवं गांव / कस्बा जिसमें अभ्यर्थी मूल रूप से निवासरत हैं, का उल्लेख हो। केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित जाति/ समुदायों की सूची में शामिल जाति विशेष से संबंधित अभ्यर्थी ही जाति/ समुदाय के आरक्षण का लाभ पाने का पात्र होगा।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) केन्द्रीय सूची/ ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के अभ्यर्थी, जो किसी मानक रियायत का लाभ लिए बिना अपनी योग्यता के आधार पर चयनित होंगे उन्हें आरक्षित श्रेणियों हेतु आरक्षित पदों के सापेक्ष समायोजित नहीं किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के लिए

- अनारक्षित रिक्तियों के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा। आरक्षित रिक्तियां अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) केंद्र सूची और ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) अभ्यर्थियों द्वारा अलग से भरी जायेगी।
- vii. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) – केन्द्रीय सूची/ ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के अभ्यर्थी, जो मानक रियायतों जैसे कि आयु सीमा, न्यूनतम आवश्यक प्राप्तांक (कट-आफ मार्क्स) इत्यादि के आधार पर उत्तीर्ण होते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुरूप अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष समायोजित नहीं किया जायेगा अपितु आरक्षित श्रेणी के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा।
- viii. पूर्व सैनिक (ESM) के लिए आरक्षण की प्रकृति क्षैतिज है- एक सामान्य श्रेणी ईएसएम को अनारक्षित में समायोजित किया जाएगा, एक ओबीसी श्रेणी ईएसएम को ओबीसी-एनसीएल के लिए आरक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित ईएसएम अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा।
- ix. ऐसे पूर्व सैनिक (ईएसएम) जो उनकी पुनः भर्ती हेतु पहले ही पूर्व सैनिकों के लिए लागू आरक्षण का लाभ लेकर सिविल क्षेत्र में समूह - सी एवं डी के पदों में नियमित सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, वे पूर्व सैनिकों के लिए लागू आरक्षण और शुल्क रियायत के पात्र नहीं होंगे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ज्ञापन क्रमांक 36034/1/2014 - Estt. (Res) दिनांकित 14/08/2014 के अनुसार पूर्व सैनिक सिविल रोजगार प्राप्त करने के तुरंत बाद, यदि संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा/ अंडरटेकिंग के माध्यम से उनके द्वारा सिविल रोजगार प्राप्त करने के पूर्व में विभिन्न रिक्तियों हेतु किये गये आवेदनो का तिथि वार विवरण प्रदान करता है, तो वो आगामी रोजगार हेतु पूर्व सैनिक (ईएसएम) के रूप में आरक्षण का लाभ ले सकता है।
- x. ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अंतर्गत आते हैं उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ज्ञापन क्रमांक 36039/1/2019 –Esst. (Res) दिनांक : 31.01.2019, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-2023 की सकल वार्षिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

#### 4. आयु सीमा :

- (i) अभ्यर्थियों की महत्वपूर्ण तिथि (Crucial date) पर आयु न्यूनतम 18 वर्ष या अधिक एवं अधिकतम 30 वर्ष या कम होनी चाहिए। आयु सीमा में विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अधिकतम 30 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में रियायत (वर्ष में) इस प्रकार है।

#### तालिका (घ): विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु छूट सीमा

क्र० सं०	श्रेणी	आवश्यक ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम छूट (महत्वपूर्ण तिथि 31/08/2023 को)
1	अनारक्षित/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कोई छूट नहीं
2	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) केन्द्रीय सूची (central list)	3 वर्ष
4	पूर्व सैनिक (ईएसएम)	रक्षा सेवाओं में प्रदान की गई सेवा की वास्तविक अवधि +3 वर्ष (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैन्य कर्मियों हेतु 8 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) केन्द्रीय सूची हेतु 6 वर्ष) किसी भी परिस्थिति में भूतपूर्व सैन्य कर्मियों की वास्तविक आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, (आयु में छूट भूतपूर्व सैन्यकर्मियों के पुत्रों, पुत्रियों और आश्रितों के लिए स्वीकार्य नहीं है। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी को पूर्व सैनिक के रूप में अंकित नहीं करना चाहिए)
5	विभागीय कर्मचारी (कोल इंडिया एवं उसकी अनुषंगी कम्पनियों के समस्त कर्मचारी)	कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं

- (ii) अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र, मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा की मार्कशीट या केन्द्रीय/राज्य बोर्ड द्वारा जारी समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि ही मान्य होगी।

## 5. आवेदन शुल्क :-

अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा:

### तालिका (ड): आवेदन शुल्क

अनारक्षित/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	₹०1000 + लागू जीएसटी ₹०180 = कुल ₹०1180 (मात्र एक हजार एक सौ अस्सी रुपये)
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पूर्व सैनिक/ विभागीय कर्मचारी	कोई शुल्क नहीं

नोट 1: निर्धारित शुल्क के बिना आवेदन विचारणीय नहीं होगा और अस्वीकृत कर दिया जायेगा। इस तरह की अस्वीकृति के विरुद्ध कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट 2: एक बार भुगतान किया गया शुल्क न तो वापस किया जायेगा और न ही किसी भी परिस्थिति में समायोजित किया जायेगा।

नोट 3: निर्धारित आवेदन शुल्क के अतिरिक्त कोई भी कर या बैंक शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

नोट 4: आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए कोई अन्य तरीका नहीं होगा। यदि कोई अभ्यर्थी किसी गलत खाते में शुल्क जमा करता है तो एनसीएल जिम्मेदार नहीं होगा।

## 6. कदाचार के दोषी पाये गये अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:

- I. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों का उपयोग करने या छलवेषण या दुर्व्यवहार करने का दोषी पाया जाता है या चयन के लिए अपनी उम्मीदवारी के सम्बन्ध में किसी अन्य अनुचित साधनों का सहारा लेना या किसी तरीके द्वारा अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करता है तो, ऐसा अभ्यर्थी आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा और कंप्यूटर आधारित परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कंपनी ऐसे अभ्यर्थियों को कंपनी की किसी भी आगामी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने से भी रोक सकती है।
- II. यदि नियुक्ति प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में या किसी भी दस्तावेज़ में/ उसकी योग्यता, श्रेणी/ जाति और अनुभव के सम्बन्ध में कोई गलत जानकारी/ विवरण प्रस्तुत किया है या आवेदन पत्र में किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को विलोपित किया है / बहुअर्थी रूप से प्रस्तुत किया है, तो उसकी सेवा परीक्षा/ प्रशिक्षण अवधि के दौरान या कम्पनी में सेवा के नियमितीकरण होने के उपरान्त भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
- III. किसी भी रूप उपाधना को अयोग्यता माना जायेगा।

## 7. चयन प्रक्रिया:

- I. इस अधिसूचना के तहत निर्दिष्ट ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर आयु और न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए उपस्थित होना आवश्यक होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के तुलनात्मक प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जायेगा।
- II. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में उनके पात्रता के संबंध में उल्लेखित घोषणा के आधार पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने दिया जायेगा। आवेदित पद हेतु अभ्यर्थी की पात्रता के समर्थन में उनके दावों की जांच/ सत्यापन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद केवल उन अभ्यर्थियों के लिए किया जायेगा, जो निर्धारित कट-ऑफ मार्क्स (न्यूनतम योग्यता अंक तालिका 'च') के अनुसार कंप्यूटर आधारित परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे।
- III. एचईएमएम ऑपरैटर (प्रशिक्षु) के पद के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट आयोजित किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा एचईएमएम ऑपरैटर (प्रशिक्षु) के सभी पदों के लिए 90 मिनट की अवधि के लिए 100 अंकों का होगा। पदों को भरने के लिए मेरिट 100 अंकों के कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के स्कोर पर तैयार की जाएगी।
- IV. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम **अनुलग्नक-ए** के रूप में संलग्न है।
- V. **परीक्षा आयोजन हेतु शहर:** कंप्यूटर आधारित परीक्षा ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित परीक्षा शहरों में आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता के अनुसार सूची में से छह परीक्षा शहरों का विकल्प चुन सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा शहर को

आवंटित करने या अभ्यर्थी द्वारा चुने गए परीक्षा शहर को बदलने का एनसीएल अधिकार सुरक्षित रखता है। आवेदकों की संख्या के आधार पर शहरों की सूची से किसी भी शहर (शहरों) को जोड़ने या हटाने का एनसीएल अधिकार सुरक्षित रखता है।

- VI. मेरिट पैनल में अभ्यर्थियों का चयन संबंधित श्रेणी के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कट-ऑफ अंक (न्यूनतम योग्यता अंक- निम्नानुसार) नीचे उल्लिखित अनुसार अर्जित करने एवं निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के उपरांत किया जायेगा।

**तालिका (च): मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कट-ऑफ अंक दर्शाती तालिका**

पद नाम	अधिकतम अंक	अभ्यर्थियों की श्रेणी	न्यूनतम कट-ऑफ
सभी एचईएमएम पद	100	अनारक्षित/ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	50 अंक
		अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पूर्व सैनिक/ अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर	40 अंक

- VII. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के सफल समापन के बाद परीक्षा का परिणाम एनसीएल के वेबसाइट पर जल्द से जल्द प्रकाशित किया जायेगा।
- VIII. विभिन्न पदों के संबंध में एनसीएल की वेबसाइट पर, प्राप्तांक कट-ऑफ और उससे ऊपर और पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के अंतिम मेरिट पैनल टाई रूल लगाने के बाद प्रकाशित किए जाएंगे।
- IX. ऐसे अभ्यर्थी को, जो न्यूनतम योग्यता अंक (तालिका 'च' में प्रदान किए गए न्यूनतम कट-ऑफ) के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, केवल उन्हें उनके मूल अभिलेखों एवं विभिन्न प्रमाणपत्रों की जांच / सत्यापन के लिए, विभिन्न पदों हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के क्रम के अनुरूप उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाएगा और ऐसा उस सीमा तक किया जाएगा जब तक की अधिसूचित रिक्त कुल पद भर नहीं लिए जाते। अभ्यर्थियों को इस रोजगार अधिसूचना में जांच / सत्यापन के लिए अधिसूचित पात्रता मानदंड के अनुसार सभी मूल प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। जांच/ सत्यापन के लिए तिथि, समय एवं स्थान को एनसीएल की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा एवं अभ्यर्थियों को तदनुसार रिपोर्ट करना होगा। निर्धारित समय के अंदर सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं संबंधित दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करने में विफलता की स्थिति में, ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः ही रद्द मानी जाएगी।
- X. एचईएमएम पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा में ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक हासिल करते हैं, एक के बाद एक निम्नलिखित तरीकों को लागू करके टाई को हल किया जाएगा: (i) मैट्रिक में उच्च प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, फिर (ii) अभ्यर्थियों की उम्र (जन्म तिथि) के आधार पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, फिर (iii) निर्णायक रूप से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम जिसमें अभ्यर्थियों के नाम (मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दिए गए अनुसार अंकित हैं)।
- XI. कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट पैनल तैयार किया जाएगा।
- XII. एचईएमएम ऑपरेटर (प्रशिक्षु) के विभिन्न पदों को निम्नलिखित क्रम में भरा जाएगा, अभ्यर्थियों के साथ उनकी योग्यता स्थिति के क्रम में, बशर्ते अभ्यर्थी तालिका 'क' में निर्धारित योग्यता को पूरा करते हों और अन्य पात्रता शर्तों के अधीन हों, जैसा कि रोजगार अधिसूचना में प्रदान किया गया है। इस संबंध में एनसीएल प्रबंधन का निर्णय अंतिम और सभी अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा।
1. शोवेल ऑपरेटर (प्रशिक्षु)
  2. फिर; डम्पर ऑपरेटर (प्रशिक्षु),
  3. फिर; सरफेस माइनर ऑपरेटर (प्रशिक्षु),
  4. फिर; डोज़र ऑपरेटर (प्रशिक्षु),
  5. फिर; ग्रेडर ऑपरेटर (प्रशिक्षु)
  6. फिर; पे-लोडर ऑपरेटर (प्रशिक्षु) एवं
  7. अंततः क्रेन ऑपरेटर (प्रशिक्षु)

- XIII. अस्थायी नियुक्ति पत्र सफल अभ्यर्थियों को उनकी तुलनात्मक योग्यता, उनकी पद हेतु पात्रता के अनुसार और विभिन्न संवर्गों हेतु आरक्षित श्रेणी के पदों के आरक्षण, अन्य प्रावधानों एवं रिक्तियों की उपलब्धता पर विचार करने के बाद जारी किया जायेगा।
- XIV. यदि यह जाँच / सत्यापन के दौरान, या प्रशिक्षण के दौरान, या यहां तक कि रोजगार के दौरान पाया जाता है, कि अभ्यर्थी किसी भी संबंध में पात्रता मानदंड को पूरा नहीं कर रहा है, तो उसकी उम्मीदवारी / नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

## 8. अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश:

- i. आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह रोजगार अधिसूचना में उल्लिखित सभी पात्रता मानदंडों और अन्य मानदंडों को पूरा करता है। आवेदक अंतिम रूप से आवेदन जमा करने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि वे आवेदन पत्र में उनके द्वारा दी गई जन्मतिथि, संवर्ग श्रेणी, पत्राचार हेतु पता एवं योग्यतापूर्णतः सही है, क्योंकि एक बार आवेदन को ऑनलाइन जमा किए जाने के बाद आवेदन पत्र में कोई भी सुधार संभव नहीं होगा और इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- ii. पात्रता मानदंड, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, पद के लिए चयन का तरीका आदि के बारे में एनसीएल प्रबंधन का निर्णय अंतिम और सभी अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा। मात्र न्यूनतम योग्यता और नौकरी की आवश्यकताओं को पूरा करने पर अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा / दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाये ऐसा उनका अधिकार नहीं। अयोग्य पाए गए एवं कंप्यूटर आधारित परीक्षा / दस्तावेजों के सत्यापन के लिए नहीं बुलाए गए अभ्यर्थियों से कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।
- iii. किसी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड / कॉल लेटर जारी करने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता को एनसीएल द्वारा पुष्टि कर दी गई है। किसी भी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता तब तक प्रावधिक रहेगी जब तक कि अभ्यर्थी द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत बुलाये जाने पर एनसीएल द्वारा उनके मूल दस्तावेजों की जांच कर यह सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता है कि अभ्यर्थी समस्त अधिसूचित अर्ह्यताओं की प्रतिपूर्ति करता है।
- iv. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उस पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करें जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है। यदि यह चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण पर या नियुक्ति के बाद भी यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने झूठी या गलत जानकारी प्रस्तुत की है या किसी प्रासंगिक जानकारी / भौतिक तथ्यों को छुपाया है या पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है, तो उसकी अभ्यर्थिता/ सेवा बिना सूचना दिए रद्द / समाप्त कर दी जाएगी।
- v. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में कोई छूट, जैसा कि तालिका 'क' में निर्धारित है, किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों लिए स्वीकार्य नहीं है।
- vi. जहां भी ग्रेड (सीजीपीए / ओजीपीए / डीजीपीए आदि) व्यवस्था लागू किया जाता है, ग्रेड के प्रतिशत में रूपांतरण के लिए संबंधित बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत जारी किया गया प्रमाण पत्र, मूल दस्तावेजों की जांच / सत्यापन के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- vii. इस रोजगार अधिसूचना के तहत निर्धारित महत्वपूर्ण तिथि पर आयु एवं अन्य सभी पात्रता मानदंड की पात्रता पूर्ण होनी चाहिए।
- viii. अभ्यर्थियों को ध्यान से ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनकी श्रेणी (सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर)/ पूर्व सैनिक / ईडब्ल्यूएस आदि) को भरना चाहिए। चयन प्रक्रिया के बाद के चरण में श्रेणी के किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ix. भूतपूर्व सैनिकों को दस्तावेज सत्यापन के समय भारतीय संघ की थल सेना / नौ सेना / वायु सेना द्वारा जारी किया गया सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- x. सभी दस्तावेजों (जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आदि) उन्हें जारी करने वाले कार्यालय से सत्यापित किये जायेंगे। यदि प्रमाण पत्र कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद के किसी भी चरण में संतोषजनक / वास्तविक नहीं पाए जाते हैं तो अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
- xi. अभ्यर्थियों के पास एक सक्रिय ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कम से कम अगले एक वर्ष के लिए वैध रहना चाहिए। अभ्यर्थियों के साथ सभी पत्राचार रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर (जैसा

आवश्यक हो) के माध्यम से किया जाएगा और सभी सामान्य जानकारी एनसीएल वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। **हालांकि, एडमिट कार्ड केवल एनसीएल वेबसाइट के माध्यम से प्रदान किया जाएगा और अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा।** आवेदन पत्र, एडमिट कार्ड और अन्य जानकारी प्राप्त करने, डाउनलोड करने और प्रिंट करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की स्वयं की होगी। एनसीएल अभ्यर्थी द्वारा प्रदान किए गए अमान्य / गलत / अपूर्ण संपर्क विवरणों के कारण या देरी / सूचना प्राप्त न होने के कारण, दस्तावेज़ के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने में अभ्यर्थियों को आने वाली किसी भी समस्या के मामले में वे व्यक्तिगत लॉगिन पोर्टल में उपलब्ध "हेल्प डेस्क विकल्प" पर उल्लेख कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र के अलावा अन्य प्रश्नों के लिए आधिकारिक ई-मेल आईडी : [rectt.ncl@coalindia.in](mailto:rectt.ncl@coalindia.in) पर ही लिख सकते हैं।

- xii. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में नेटवर्क (ऑनलाइन माध्यम) की क्षमता सीमित होने से ऑनलाइन आवेदन में आने वाली परेशानी से बचने के लिए इस रोजगार अधिसूचना में उल्लिखित ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले अभ्यर्थियों को आवेदन कर देने की सलाह दी जाती है।
- xiii. एनसीएल उन अभ्यर्थियों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, जो एनसीएल के नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों से निर्धारित तिथियों के भीतर अपने आवेदन ऑनलाइन जमा नहीं कर पा रहे हैं।
- xiv. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पूरा होने के 02 दिनों के बाद अभ्यर्थियों से टिप्पणियों / आपत्तियों को यदि कोई हो तो आमंत्रित करने के लिए प्रतिक्रिया क्लेरी प्रबंधन (**Response Query Management**) को एनसीएल वेबसाइट पर चालू कर दिया जाएगा। आपत्ति प्रबंधन के लिए लिंक केवल 04 दिनों के लिए चालू किया जाएगा। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- xv. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने, परीक्षा की तिथि और स्थान आदि को फिर से निर्धारित करने या परिस्थितियों के आधार पर किसी भी विज्ञापित शर्त को बदलने का अधिकार एनसीएल सुरक्षित रखती है।
- xvi. केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार / स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत किसी भी अभ्यर्थी के पिछले रोजगार के सेवा बांड / वेतन / अवकाश वेतन / पेंशन अंशदान, आदि के किसी भी दायित्व को एनसीएल वहन नहीं करेगा।
- xvii. सरकारी विभाग / अर्ध सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (विभागीय अभ्यर्थियों सहित) / स्वायत्त निकायों में नियोजित अभ्यर्थियों को अंतिम चयन उपरांत मूल दस्तावेजों की जांच / सत्यापन के समय "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना होगा।
- xviii. चयनित अभ्यर्थियों को एनसीएल के किसी भी खदान / इकाई में पदस्थापित किया जा सकता है और आवश्यकता होने पर उनकी सेवा के दौरान किसी भी समय कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- xix. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कोल इंडिया लिमिटेड की चिकित्सा जाँच से संबंधित एवं निर्धारित नियमों के अनुसार कंपनी की चिकित्सा जाँच में चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त पाए जाने के अधीन होगी।
- xx. अभ्यर्थी का चयन प्रावधिक होगा एवं पात्रता मानदंड, चरित्र, पूर्ववृत्त और अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गये विभिन्न दस्तावेजों की सत्यापन के अधीन एवं एनसीएल के नियमों के तहत, नियुक्ति के लिए लागू अन्य प्रावधानों के अधीन होगा।
- xxi. एनसीएल में अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन होगी और यदि कोई विसंगति / तथ्य को छिपाया जाता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में एनसीएल का निर्णय अंतिम होगा।
- xxii. कंप्यूटर आधारित परीक्षा और अन्य विवरण की तारीख बाद में सूचित की जाएगी। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए एनसीएल द्वारा उन्हें आवंटित केंद्र / परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। केंद्र / परीक्षा स्थल में कोई परिवर्तन संबन्धित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।



xxiii. आवश्यकता पड़ने पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा कई पालियों में आयोजित की जा सकती है। ऐसे मामले में, कंप्यूटर आधारित परीक्षा स्कोर के सामान्यीकरण के लिए निम्नलिखित उपयुक्त स्कोर नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अपनाया जाएगा।

**तालिका (छ):** कंप्यूटर आधारित परीक्षा स्कोर के नॉर्मलाइजेशन के लिए सूत्र दर्शाने वाली तालिका

<b>Normalized score for each candidate (Xn) = <math>X_n = (S_2/S_1)*(X - X_{av}) + Y_{av}</math></b>	
<b>S2</b>	Is the SD of the shift with the Highest Average Score taken as <b>Base</b> for normalization (Criteria for choosing the base for normalization is generally taken as the shift with 'Highest Average' of raw scores)
<b>S1</b>	Standard Deviation for the corresponding shift (to be scaled to S2)
<b>X</b>	Raw score of a candidate
<b>Xav</b>	Simple average of the shift
<b>Yav</b>	Average corresponding to shift with highest Average (taken as <b>Base</b> for normalization)

- xxiv. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बुलाये गये एससी / एसटी अभ्यर्थियों को नियमानुसार द्वितीय श्रेणी- नॉन-एसी रेल किराया का भुगतान किया जाएगा। हालाँकि, उन्हें **इस अधिसूचना (अंत में) के साथ दिये गए उपयुक्त टीए क्लेम प्रारूप** में अपने दावों को प्रस्तुत करना होगा, साथ ही सभी वांछित संलग्नक जैसे जाति प्रमाण पत्र, परीक्षा स्थल तक आने की यात्रा में प्रयुक्त टिकट की फोटोकॉपी (अनिवार्य) और अपने गंतव्य हेतु वापसी रेलवे टिकट / बस यात्रा टिकट (वैकल्पिक), सहित दावा कंप्यूटर आधारित परीक्षा सम्पन्न होने के बाद परीक्षा केंद्र पर पर्यवेक्षक को जमा करना होगा। बाद के दावों के साथ-साथ अधूरी जानकारी वाले दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्र की दूरी की गणना अभ्यर्थी के स्थायी पते या वास्तविक यात्रा के स्थान से, जो भी कम हो, से किया जाएगा। यदि, अभ्यर्थी ने केवल आने की यात्रा का टिकट जमा किया है और वापसी यात्रा के टिकट जमा नहीं किए हैं तो दावों को आने की यात्रा के किराया का दो गुना तक माना जायेगा और इसका भुगतान नियम के अनुसार किया जायेगा।
- xxv. कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उपस्थित होने, प्रमाणपत्रों एवं दस्तावेजों की जांच / सत्यापन या चयनित होने पर शामिल होने के लिए इस रोजगार अधिसूचना में निर्दिष्ट के अलावा, कोई टीए / डीए, भुगतान नहीं किया जायेगा।
- xxvi. **अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए स्वयं के जोखिम पर उपस्थित होगा और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड किसी भी क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।**
- xxvii. एनसीएल प्रबंधन भर्ती प्रक्रिया को संशोधित / प्रतिबंधित / बढ़ाने / रद्द करने का एवं बिना कारण बताए अपने विवेक पर, रिक्तियों की संख्या को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एनसीएल प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में कोई अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।
- xxviii. इस भर्ती से संबंधित सभी भावी संचार / सूचना एनसीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को आगे के अपडेट के लिए नियमित रूप से एनसीएल वेबसाइट (**www.nclcil.in**) पर जाने / चेक करने की सलाह दी जाती है।
- xxix. किसी भी विवाद के लिए न्यायालय का क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र होगा।
- xxx. किसी भी अस्पष्टता / भ्रम की स्थिति में, रोजगार अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण को वैध माना जायेगा।

## 9. आवेदन कैसे करें:

- अभ्यर्थियों को एनसीएल की आधिकारिक वेबसाइट [www.nclcil.in](http://www.nclcil.in) > **कैरियर** > **भर्ती** > **विभिन्न एचईएमएम ऑपरेटर प्रशिक्षु पदों की सीधी भर्ती के लिए रोजगार अधिसूचना** > **लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन** करने की सलाह दी जाती है।
- रोजगार अधिसूचना अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

- iii. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पात्रता का आकलन करने के लिए पूर्ण रोजगार अधिसूचना के प्रावधानों को ध्यान से देखें।
- iv. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पूर्व सैनिक / विभागीय अभ्यर्थियों के अलावा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से केवल – रु० 1000 + लागू जीएसटी रु० 180 = रु०1180 (मात्र एक हजार एक सौ अस्सी रुपये) की गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
- v. ऑनलाइन आवेदन करते समय, अभ्यर्थी को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे: -
  - हाल के पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो ग्राफ की स्कैन की गई प्रति (jpg / jpeg प्रारूप में जो 3 सप्ताह से अधिक पुरानी न हो)।
  - काली स्याही वाले पेन से हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति (jpg / jpeg प्रारूप में)।
  - दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां (pdf / jpg / jpeg प्रारूप में), जो इस प्रकार हैं:
    - क मैट्रिक / माध्यमिक बोर्ड स्तर के प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति।
    - ख वैद्य एचएमवी लाइसेंस - जो किसी भारतीय राज्य के आरटीए / आरटीओ द्वारा जारी किया गया हो की स्कैन की गई प्रति।
    - ग अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में वैध प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति अपलोड करनी होगी।
    - घ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-Estt. (Res) दिनांक 31.01.19 पीपीजी एंड पी मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 की सकल वार्षिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति अपलोड करनी होगी।
- vi. यदि किसी अभ्यर्थी से एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो नवीनतम (वर्तमान) आवेदन को अंतिम माना जाएगा।
- vii. ऑनलाइन आवेदन में आवश्यक / स्पष्ट दस्तावेजों को संलग्न न करने की स्थिति में आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा और इसे खारिज कर दिया जाएगा। सभी आवश्यक फ़ाइल भरने के बाद, अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना है कि उसके द्वारा प्रस्तुत डेटा सही है और उसके बाद स्वघोषित बॉक्स पर चेक करने के बाद ही अभ्यर्थी फॉर्म जमा कर सकता है क्योंकि फॉर्म जमा करने के बाद आवेदन में किसी भी तथ्य में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं है। *अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में संदर्भ के लिए ऑनलाइन भरे गए आवेदन का प्रिन्ट आउट अपने पास रखें।*

## 10. विशेष नोट :

*अभ्यर्थी को न तो ऑनलाइन आवेदन न ही प्रासंगिक प्रमाणपत्रों की प्रतियां की हार्ड कॉपी पोस्ट / डिस्पैच करने की आवश्यकता है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में उनकी स्वघोषणा के एकमात्र आधार पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। स्वघोषणा संबंधित रोजगार अधिसूचना को गंभीरता से पढ़ने एवं सभी प्रावधानों, नियमों और शर्तों को पूरी तरह से समझते हुए अपनी स्वयं की आवेदित पद हेतु पात्रता के धारण करने के संबंध में एवं अभ्यर्थी को इस तथ्य के बारे में संज्ञान होने कि उसका रोजगार उसके बारे में उसके दावे की जांच, उसकी पात्रता और ऊपर लिखित रूप में सामान्य कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उसका प्रदर्शन के अधीन है, के लिए होगा।*

*नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा किसी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड उसकी आवेदित पद हेतु पात्रता की पुष्टि के रूप में जारी नहीं किया जाएगा। इसी तरह कंप्यूटर आधारित परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। नियुक्ति के लिए मेरिट सूची उन सभी अभ्यर्थियों के संबंध में, जो न्यूनतम योग्यता अंक स्कोर करते हैं, अधिसूचना में निर्धारित सभी पात्रता मानदंड को पूरा करने के आधार पर निर्धारित की जाएगी।*

## 11. महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन पंजीकरण और फॉर्म जमा करने की प्रारंभिक तिथि	09/08/2023 (10:00 AM)
ऑनलाइन पंजीकरण और फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि (यह महत्वपूर्ण तिथि है/ <b>Crucial date</b> – जो कि विभिन्न पदों के लिए इस अधिसूचना में तालिका 'क' में निर्धारित विभिन्न अर्हताएं एवं पात्रताएं निर्धारित करने की तारीख)	31/08/2023 (11:59 PM)
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की अनुमानित तिथि	आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा
कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अनुमानित तिथि	आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा
परिणामों की घोषणा की अनुमानित तिथि	आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा

## 12. एनसीएल का अंतिम निर्णय:

अभ्यर्थियों के लिए, पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, गलत सूचना के लिए दंड, चयन का तरीका, परीक्षा आयोजित करने, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, चयनित अभ्यर्थियों के चयन और पोस्टिंग से संबंधित सभी मामलों में एनसीएल प्रबंधन का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी भी पूछताछ / पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(राजेश चौधरी)

उप-महाप्रबंधक (कार्मिक/ श्रमशक्ति एवं भर्ती)

### खंडन

एनसीएल (नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) में पूर्णकालिक रोजगार हासिल करने के झूठे वादे करके या अनुचित या अनैतिक साधनों के उपयोग नौकरी दिलाने के दावे करने वाले जॉब रैकेटर्स से सावधान रहें। एनसीएल ने अपनी ओर से कार्रवाई के लिए कोई एजेंट या कोचिंग नहीं नियुक्त किया है। व्यक्तियों / एजेंसियों द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के खिलाफ अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है। अभ्यर्थियों का चयन विशुद्ध रूप से मेरिट के अनुसार किया जाता है। बेईमान तत्वों से सावधान रहें और उनके जाल में न पड़ें। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एनसीएल को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया जायेगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

## Annexure-A

### Syllabus

#### Post Name- HEMM Operator (Trainee)

**Common CBT (Computer Based Test)** – For all post (100 MCQ of one mark each. There will be no negative marking for marking incorrect answers.)

**CBT** will be Common Paper for all Operators posts, the syllabus is as follows:

1. **Elementary Knowledge of Diesel engine, Petrol engine:** Functioning of engine, Braking System, Cooling System, Suspension, Clutch etc. which a driver should possess for efficient driving/operation of machine and vehicle.
2. **General Awareness/ Knowledge:** Current affairs, mental ability, reasoning, various Government Initiatives and Schemes etc.  
Awareness of Traffic rules & signals, Emission Standards, Driving rules, safety rules, meaning of different traffic signals, permissible speed at different location, Indian Emission standards for vehicles, Motor Vehicle Acts & Rules, General Science.
3. **Basic Mathematical Aptitude:** 10th Standard Arithmetic calculations, distance, displacement, speed/ velocity, relative velocity, acceleration related problems, Triangles, Simple trigonometry, heights and distance, Average, Time and work, Simple and Compound interest etc.

## PRESCRIBED PROFORMAE

### Performa-I

#### **The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India**

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari\*.....  
son/daughter\* of ..... of village/town\*  
..... in District/Division\* ..... of the  
State/Union Territory\* ..... belongs to the..... caste/tribe\* which is  
recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe\* under:—

- @ The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
- @ The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order, 1951
- @ The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976., the State of Mizoram Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganisation) Act, 1987.]

- @ The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956
- @ The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976
- @ The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962
- @ The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962
- @ The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964
- @ The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967
- @ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968
- @ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968
- @ The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970
- @ The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978
- @ The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
- @ The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989
- @ The Constitution (SC) Order (Amendment) Act, 1990
- @ The Constitution (ST) Order (Amendment) Act, 1991
- @ The Constitution (ST) Order (Second Amendment) Act, 1991
- @ The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002

% 2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes certificate issued to Shri/Shrimati\*..... Father/Mother of Shri/Shrimati/Kumari ..... of village/town\* ..... in District/Division\*..... of the State/Union Territory\*..... who belongs to the caste/tribe\* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory\* of ..... issued by the ..... dated .....

% 3. Shri/Shrimati/Kumari\*..... and/or\* his/her\* family ordinarily resides in village/town\*..... of..... District/Division\* of the State/Union Territory\* of.....

Signature.....  
\*\*Designation.....

(With Seal of Office)  
State/Union Territory\*

Place: .....

Date: .....

\*Please delete the words which are not applicable.

@Please quote specific Presidential Order.

% Delete the paragraph which is not applicable.

NOTE: The term “ordinarily reside (s)” used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

\*\*List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificate.

- (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/† Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.  
†(not below of the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides.
- (v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer(Lakshadweep)

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA**

This is to certify that Shri/Smt./Kumari \_\_\_\_\_ son/daughter of \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ village/town \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ District/Division \_\_\_\_\_ in the State/Union Territory \_\_\_\_\_ belongs to the \_\_\_\_\_ community which is recognised as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_\*. Shri/Smt./Kumari \_\_\_\_\_ and /or his/her family ordinarily reside(s) in the \_\_\_\_\_ District/Division of the \_\_\_\_\_ State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 8.9.1993, OM No. 36033/3/2004-Estt. (Res) dated 9<sup>th</sup> March, 2004, O.M. No. 36033/3/2004- Estt. (Res) dated 14<sup>th</sup> October, 2008 and O.M. No. 36033/1/2013-Estt. (Res) dated 27<sup>th</sup> May, 2013\*\*.

Signature \_\_\_\_\_  
Designation \_\_\_\_\_ \$

Dated:

Seal

---

\*- The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

\*\* - As amended from time to time.

\$ - List of Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be the same as those empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates.

Note:- The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**Form of declaration to be submitted by the OBC candidate (In addition to the community certificate)**

I ..... Son/ daughter of Shri ..... resident of village/ town/ city ..... district ..... State..... hereby

declare that I belong to the ..... community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No 36102/ 22/ 93 – Estd. (SCT) dated 8-9-1993. It is also declared that I do not belong to persons/ sections/ sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 8-9-1993, O.M. No. 36033/ 3/ 2004 –Estd. (Res.) dated 9<sup>th</sup> March, 2004 and O.M. No. 36033/ 3/ 2004 –Estd. (Res.) dated 14<sup>th</sup> October, 2008.

**Signature:.....**

**Full Name:.....**

**Address:.....**



**Government of.....**

**(Name & Address of the authority issuing the certificate)**

**INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE  
PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER  
SECTIONS**

Certificate No.....

Date:.....

VALID FOR THE YEAR .....

This is to certify that Shri/Smt./Kumari .....  
son/daughter/wife of ..... permanent resident of,  
..... Village/Street, ..... Post Office,  
.....District..... in the State/Union  
Territory..... Pin Code.....whose photograph  
is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since  
the gross annual income\* of his/her family\*\* is below Rs. 8 lakh  
(Rupees Eight Lakh only) for the financial year ..... His/her  
family does not own or possess any of the following assets\*\*\* :

- I. 5 acres of agricultural land and above; II.  
Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified  
municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in. areas other  
than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari ..... belongs to the .....  
caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled  
Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Signature with seal of Office.....

Name.....

Designation.....

Recent  
passport size  
attested  
photograph of  
the applicant

**\*Note 1:** Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

**\*\*Note 2:** The term '**Family**' for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

**\*\*\*Note 3:** The property held by a 'Family' in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

\*\*\*\*\*

UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THE EX- SERVICEMEN

I....., bearing Roll No.....,

Appearing for the Document Verification of the .....

Examination, 20....., do hereby undertake that:

(a) I am entitled to the benefits admissible to Ex- Servicemen in terms of the Ex- Servicemen Re-employment in Central Civil Services and Post Rules, 1979, as amended from time to time.

(b) I have not joined the Government Job on civil side (including Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies/ Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.) in Group 'C' & 'D' posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-servicemen for re-employment; or

(c) I have availed the benefit of reservation as ex-servicemen for securing Government job on civil side. I have joined as ..... on .....in the office of.....I hereby undertake that I have submitted the self-declaration/ undertaking to my current employer about date wise detail of the application for the above mentioned examination for which I had applied for before joining the present civil employment; or

(d) I have availed the benefit of reservation as ex-servicemen for securing Government job on civil side. I have joined as.....On .....in the office of.....Therefore, I am eligible for age-relaxation only;

I hereby declare that the above statements are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled / terminated.

Signature:.....

Name: .....

Roll No:.....

Date :.....

Date of appointment in Armed Forces:.....

Date of Discharge:.....

Last Unit/ Corps:.....

Mobile No:.....

Email ID:.....

**TA CLAIM FORM FOR CANDIDATES APPEARING FOR WRITTEN TEST**  
**( APPLICABLE IN CASE OF SC/ST CANDIDATES)**

**Please enclose original bus/train tickets through which inward journey performed**

1.	Roll No.	
2.	Name and address of test center	
3.	Full name of candidate (in block letters)	
4.	Address ( as indicated in Admit Card)	
5.	Name of nearest Railway Station from Permanent Address	
6.	a) Name of Railway Station from which actual journey commenced.	
	b) If journey was performed by bus, name of place from which actual journey commenced.	

7. Travel  
Details : i)

Inward Journey		Journey Date	Mode & Class of Travel	Amount Claim
From	To			

ii)

Proposed outward Journey		Journey Date	Mode & Class of Travel	Amount Claim
From	To			

TOTAL ( i + ii) in Rupees.

8. Bank Details :

Name of the Bank in which TA claim is to be reimbursed :	
Address/Branch Name of Bank :	
Account Holder's Name :	
Account Number :	
IFSC Code :	

### CERTIFICIATE

I certify that the concessional return ticket(s) was/were not available to the test centre on the date of commencement of journey.

Certified that I have actually travelled and for the return journey shall travel by the class for which claim has been preferred.

Certified that the railway fare claimed is by the shortest route from the railway station nearest to residence or from where I actually performed the journey to the test centre and back to the same station.

Certified that I am not a Railway employee and have not availed of any free or concessional pass issued by the Railways or any other authority.

Bus ticket is enclosed (in case of travel by bus)

Certified that I have not availed of any LTC or student concessions or any other travel concession while performing the journey.

Signature of Candidate : \_\_\_\_\_

Name : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Claim checked, verified and countersigned

N.C.L. CO-ORDINATOR.  
(Signature)

FOR OFFICE USE : DO NOT WRITE BELOW DOTTED LINE

.....

Passed for Payment of Rs. \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ Only)

Accts. Asstt/Acctt. \_\_\_\_\_

Finance Executive \_\_\_\_\_

Received Rs. \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ only)

Date : \_\_\_\_\_